मत्स्य निदेशालय
आफिसर्स हॉस्टल, ब्लॉक–ए, बेली रोड, बिहार, पटना

पत्र सं0–म0 / गो0शि0अरा0– 03 / 2016.......869 मत्स्य / पटना, दिनांक – 27/06/2018

कार्यालय आदेश

श्री मनोज कुमार सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता, जिला मत्स्य कार्यालय, भोजपुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त जिला मत्स्य कार्यालय, बक्सर के प्रतिनियुक्ति काल में उनके विरूद्ध सरकारी आदेश की अवहेलना एवं आवंटित कार्यों का भली भाँति निर्वहन न करने का आरोप उप मत्स्य निदेशक, पटना परिक्षेत्र, पटना का पत्रांक 365 दिनांक 07.12.2015 प्राप्त हुए।

2. प्राप्त आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के कारण श्री सिन्हा के विरूद्व निदेशालय पत्रांक 1638 दिनांक 23.12.2016 द्वारा प्रपत्र–'क' गठित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई।

3. प्रपत्र– 'क' में गठित आरोप के विरूद्ध श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाए जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम– 9 के तहत निलंबित करते हुए नियम – 17 के तहत निदेशालय आदेशांक 161 दिनांक 09.032.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं श्री प्रेम कुमार सिन्हा जिला मत्स्य पदा0, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। कार्रवाई संचालन के कम में श्री प्रेम कुमार सिन्हा जिला मत्स्य पदा0, पटना सह संचालन पदाधिकारी के दि0 28.02. 2017 को सेवानिवृत हो जाने के कारण पुनः निदेशालय आदेशांक 333 दि017.03.2017 द्वारा श्री सुमन कुमार, उप मत्स्य निदेशक, मत्स्य निदेशालय, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। आरोपित कर्मी श्री सिन्हा की मानसिक, आर्थिक स्थिति एवं प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिपथ में रखते हुए निदेशालय आदेशांक 742 दि0 30.06.2017 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के विरुद्ध सरकारी आदेश की अवहेलना एवं सरकारी कार्य निर्वहन के प्रति उदासीनता का आरोप प्रमाणित पाया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन पर श्री सिन्हा से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम– 18(3) के तहत निदेशालय पत्रांक 1666 दिनांक 12.12.2017 द्वारा लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गई।

6. श्री सिन्हा द्वारा दिनांक 29.12.2017 को समर्पित लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई तथा लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) को अस्वीकार योग्य पाया गया।

7. श्री मनोज कुमार सिन्हा, कनीय अभियंता, जिला मत्स्य कार्यालय, औरंगाबाद को जिला मत्स्य कार्यालय, बक्सर प्रतिनियुक्ति अवधि में उनके विरूद्ध सरकारी आदेश की अवहेलना एवं आवंटित कार्यों का भली भाँति निर्वहन न करने के आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम – 14 के आलोक में निन्दन की शास्ति अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश की प्रविष्टि कर्मी के सेवा पुस्त में दर्ज कर दी जाए।

18/6/18

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ....869..........   पटना / दिनांक....27/06/2018

प्रतिलिपिः श्री मनोज कुमार सिन्हा, कनीय अभियंता, जिला मत्स्य कार्यालय, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6/18

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ....869..........   पटना / दिनांक....27/06/2018

प्रतिलिपिः– सचिव, पशु एव मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

18/6/18

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना

ज्ञापांक ....869..........   पटना / दिनांक....27/06/2018

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना / परिक्षेत्रीय उपमत्स्य निदेशक, सभी / जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) / निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं अनुसचिवीय कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6/18

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।